पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

आर०पी० चन्द (आईआरपीएस)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/अराज०
R.P. Chand (IRPS)
Dy.Chief Personnel Officer/N.G.

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर–273012
Office of the **General Manager(P)**
Gorakhpur-273012

सं०–E/573/5/3/VIII/Bill दिनांक 09.04.2020

सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
प्रमुख वित्त सलाहकार,
पूर्वोत्तर रेलवे

विषय : अप्रैल 2020 के नियमित वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में।
संदर्भ : (I)इस कार्यालय पत्र सं0 का/322/कोरोना वाईरस/2019/II दि0 28.03.2020.
(II) इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र– दिनांक 07.04.2020.

रेलवे बोर्ड से प्राप्त दिशानिर्देशों के आलोक में एक दिन के मूल वेतन की कटौती प्रधानमंत्री केयर फण्ड में की जानी है। जिसके संबंध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश पहले ही जारी किये गये हैं। उक्त के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि जोनल आई.टी. केन्द्र (ईडीपीएम गोरखपुर) एवं प्रशासनिक ईकाइयों के एडमिन द्वारा एक दिन के मूल वेतन के बराबर धनराशि इनपुट में अपलोड कर दी जाएगी, यह फील्ड परिवर्तनीय होगी, जिसे बिल लिपिक अधिकारी/कर्मचारी के विकल्प (कटौती ना करने/कम करने) के अनुसार संशोधित कर सकेंगे। सभी मण्डलों/मण्डलेत्तर ईकाइयों के एडमिन जोनल आई.टी. केन्द्र के श्री संजय श्रीवास्तव वरिष्ठ इंजी0/आई.टी., गोरखपुर मोबाईल सं0–**9794846190** के समन्वय से अपलोडिंग का कार्य संपादित करेंगे।

बिल लिपिकों को अपनी बिल ईकाई को रीसेट करना होगा (ताकि अपलोड की गई धनराशि उनके बिल में सम्मिलित हो सके) तत्पश्चात् जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विकल्प संदर्भित पत्रों के अनुसार प्राप्त हुए हैं मात्र उन्हीं के लिए विकल्पों के आधार पर एक दिन के वेतन की धनराशि को संशोधित किया जाना होगा। अन्य प्रक्रिया पूर्व की भांति ही यथावत् जारी रहेगी। विकल्प प्रेषित करने की अंतिम तिथि संदर्भित पत्रों द्वारा पूर्व में क्रमशः 15.04.2020 एवं 10.04.2020 के स्थान पर अब दिनांक **16.04.2020** निर्धारित की जाती है। उक्त के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम तिथि के बाद भेजे जाने वाले विकल्पों पर कोई कार्यवाही करना संभव नहीं होगा तथा उनके एक दिन के मूल वेतन के समतुल्य धनराशि की कटौती प्रधानमंत्री केयर फण्ड में कर ली जाएगी। विकल्प लिखित रूप में ही मान्य होगा जिसमें नाम, पदनाम, कर्मचारी सं0 तथा बिल यूनिट के साथ काटी जाने वाली धनराशि का अंकन आवश्यक है। मुख्यालय में अपना विकल्प निम्नलिखित वाट्सएप नंबरों पर अंतिम तिथि दिनांक **16.04.2020** से पूर्व भेजे जाने होंगें।

1. श्री बसन्त लाल, वरि. कार्मिक अधिकारी/आर.पी. — 9794840616
2. श्री रविप्रकाश श्रीवास्तव, कार्याधी/बिल — 9794840636
3. श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, कार्याधी/बिल — 9794840668

उपरोक्त पर प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(आर0पी0 चन्द)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. मंडल रेल प्रबन्धक/लखनऊ, इज्जतनगर एवं वाराणसी।
2. मुख्य कारखाना प्रबन्धक/यांत्रिक , सिगनल, ब्रिज वर्कशाप/गोरखपुर एवं इज्जतनगर कारखाना।
3. सभी कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय, मंडल एवं मंडलेत्तर इकाई– कृपया अपने स्तर से उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. जनरल सेक्रेटरी/नरमू, एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसिएशन।
5. वरिष्ठ ईडीपी/प्रबंधक , गोरखपुर।

09/04/2020
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

Scanned with CamScanner